NDOH: 03.09.2025

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 824/2024

IN THE MATTER OF:

PRAVEEN KUMAR GAUTAM ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS. .... RESPONDENTS

INDEX OF FILING

Sl.No.	**PARTICULARS**	**Page NO.**
1	Response Affidavit on behalf of the Respondent-3	**1-9**

FILED ON: 02/09/2025

FILED BY:

(DHRUV TAMTA)
Advocate for the Respondents
Chamber No. 331, M.C. Setalvad Bock Supreme Court of India,
Bhagwan Das Road, New Delhi
Mo. 9899989917 Email - tamtaadvocates@outlook.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

RESPONSE AFFIDAVIT

(On behalf of the Respondents No. 3)

(In Compliance to the Hon'ble Tribunal's Order dated 04.03.2025)

IN

O.A. No. 824 OF 2024

[redacted] ....Applicant

Versus

[redacted] Ors. ....Respondents

Affidavit of Dr. Samir Sinha (Male), aged about 59 years, S/o Late Sh. Rajendra Prasad, presently posted as Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand, Dehradun.

(Deponent)

I, the above-named deponent, do hereby solemnly affirm and state on as of:

1. That the deponent is presently posted as Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand, Dehradun and has arrayed as Respondent No.3 in the present Original Application and as such he is fully conversant with the facts of the case.

2. That in the present Original Application, the applicant has raised a grievance about construction of road in Jhajra Range which is a

Reserve Forest situated at Sahaspur Block in Dehradun District of Uttarakhand.

3. That on 04.03.2025, after the course of hearing in the present matter, this Hon'ble Tribunal was pleased to pass certain directions and direct the Respondent No.3 to file response affidavit. The relevant paras of the said Order dated 04.03.2025 are being quoted here for kind perusal of this Hon'ble Tribunal:

"*7. Respondent No. 3, PCCF Uttarakhand will file a comprehensive report in respect of the Status of the alleged road within the forest area and the permission, if any, obtained by the competent authority in respect thereof.*".

3. That as soon the deponent came to know about the above directions, the deponent has sought a detailed report from the Chief Conservator of Forests, Garhwal, Pauri, Uttarakhand on the subject matter of the present application.

4. That the Chief Conservator of Forests, Garhwal, Pauri, Uttarakhand has furnished a detailed report vide his letter dated 27.06.2025. As per the said report the following main points are being submitted here as Under:

   a) In the present original application, the applicant Mr. Praveen Kumar Gautam has mentioned the name of Alaknanda Services Industrial Explosives Company, Whereas, there is no explosive company by this name under the Jhajra Range, Dehradun. Further he mentioned that one Aparna Explosives Company is located in Chowki Village Dhaulas under Jhajra Range. And for access thereto, a kutcha Path is passing between Majhaun Reserve Forest compartment No. 11 and the nap land. In the sequence of the complaint made by the applicant, joint survey of the said area was

conducted by the Forest Department along with the Revenue Department. According to the joint survey, conducted on 08.01.2025, the said kutcha Path was found to be within the boundary of the Forest Department, which was immediately taken over by the Forest Department and a Range Case No. 63/Jhajra/2024-25 was issued for the said forest offence. The said area is currently under the possession of the Forest Department. There is no encroachment on the said forests land. After investigation of the forest offence and on receipt of the final investigation report from the investigating officer, a Complaint Case 156/2025 'Divisional Forest Officer, Dehradun Vs. Amit Ahuja and Ors', has been filed against the persons responsible for the offence, which is pending before the court of Hon'ble Chief Judicial Magistrate, Dehradun. Web copy of the case status of the said case downloaded from the website is being annexed as **ANNEXURE-1.**

b) In reply to the point number 13 of the present application, it is submitted that Para pertains to another original application No. 753/2023 titled as 'Dr. Rajesh Bahuguna Vs. State of Uttarakhand and Ors', which is regarding encroachment in reserved forest land under the Raipur Range of Mussoorie Forest Division. In compliance of the order dated 10.05.2024 passed by the Hon'ble Tribunal, a report of the Joint Committee comprising of Principal Chief Conservator of Forests/HoFF, Uttarakhand, Head of Regional Office, Ministry of Environment and Forests, Dehradun, & District Magistrate, Dehradun, has been filed on 20.08.2024. Thereafter, an objection affidavit was submitted by the applicant in against the said report on 02.12.2024 and in response to which the Divisional Forest Officer, Mussoorie Forest Division has filed a supplementary affidavit dated 27.03.2025 before the Hon'ble

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

Tribunal. Presently, the said case is pending before this Hon'ble Tribunal and next hearing has been fixed on 31.10.2025.

Copy of the detailed report dated 27.06.2025 furnished by the Chief Conservator of Forests, Garhwal, Pauri, Uttarakhand is being annexed herewith as **ANNEXURE-2.**

5. That the deponent undertakes to comply the directions to be passed by this Hon'ble Tribunal in the present matter.

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of Para nos. ________________ of this affidavit are true to my personal knowledge, those of Para nos. ____________________ of this affidavit are based on records, those of Para nos. _________________ of this affidavit are as per the legal advice received and those of Para nos. ________________ of this affidavit are as per the information received which all I believe to be true. That no part of this affidavit is false and nothing material has been concealed.

So help me God **DEPONENT**

I, Avnish Gupta, Legal Assistant, Forest Department, Uttarakhand, Dehradun, do hereby identify the deponent who has produced the records of the case before me and I am satisfied that he is the same person as alleged.

IDENTIFIER

Solemnly affirmed before me today, the 02 day of September, 2025 at 4:35 am/pm by the deponent who has been identified by the aforesaid person.

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

I have satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him.

OATH COMMISSIONER/NOTARY

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. ...
10-12-2... to 09-12-2...
GOVT. OF UTTARAKHAND

This affidavit is sworn before me by
Shri.....................................
who is identified by Shri ....
at Dehradun on.........................

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

Case Status : Search by Case Number

Case Number | FIR Number | Party Name | Advocate Name | Case Code | Act | Case Type

CJM_Dehradun

Case Details

Case Type	Filing Number	Filing Date	Registration Number	Registration Date	CNR
Complaint cases - complaint cases	12603/2025	08-05-2025	156/2025	08-05-2025	UKDI

Case Status

First Hearing Date	Next Hearing Date	Case Status	Stage of Case	Court Number and Judg
28-June-2025	28-June-2025	Pending	Appereance	1-Chief Judicial Magistrat

Petitioner and Advocate

1) DFO

Respondent and Advocate

1) Amit Ahuja and others

2) Manish Sharma

3) Pratibha Sharma

4) Bhagwan Singh

5) Ashok Negi

Acts

Under Act(s)	Under Section(s)
The Indian Forest (Uttaranchal Amendment) Act, 2001	26 (1)

Case History

Registration Number	Judge	Business On Date	Hearing Date	Purpose of hea

NOTARY Rajender Si... Dehradun Reg.No.1... 10-12-22... GOVT. OF UTTARAKHAND

This affidavit is sworn before me by Shri.............................. who is identified by Shri.............. at Dehradun on..............................

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड, पौड़ी।

Phone/Fax :-01368-223243 E Mail ID:-ccfgarhwal555@gmail.com

पत्रांक – 2682/29–1(1) पौड़ी, दिनाँक 27 जून, 2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित आवेदन संख्या–824/2024 प्रवीन कुमार गौतम बनाम उत्तराखण्ड़ राज्यादि के सम्बन्ध में।

संदर्भ:– आपका पत्रांक I/160671/2025 दिनांक 24 मार्च 2025, पत्रांक I/182407/2025 दिनांक 12 जून 2025, पत्रांक I/185998/2025 दिनांक 24 जून, 2025 एवं शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड़, देहरादून का पत्रांक 3861/29–1 दिनांक 27 जून, 2025 यमुना वृत्त उत्तराखण्ड़, देहरादून का पत्रांक 2428/29–5 दिनांक 26 जून, 2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का संज्ञान लेने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्रों के क्रम में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड़, देहरादून एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त उत्तराखण्ड़, देहरादून द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित आवेदन संख्या–824/2024 प्रवीन कुमार गौतम बनाम उत्तराखण्ड राज्यादि के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या/सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

1. श्री प्रवीन कुमार गौतम द्वारा दिनांक–03.07.2024 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि देहरादून वन प्रभाग की झाझरा रेंज के अन्तर्गत अलकनन्दा सर्विसेस नाम की कम्पनी ने राजस्व क्षेत्र में गोदाम बना रखा है और वहां जाने के लिए आरक्षित वन भूमि पर कब्जा कर रोड़ का निर्माण किया गया है।
2. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से 02 सप्ताह के अन्तर्गत अपना जबाव मांगा गया है।
3. उक्त प्रकरण में आपके कार्यालय की पत्र संख्या दिनांक–21.10.2024 से प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून को जांच कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा उक्त पत्र के अनुपालन में दिनांक–24.10.2024 को वन क्षेत्राधिकारी, झाझरा को विषयक प्रकरण पर विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
5. वन क्षेत्राधिकारी, झाझरा रेंज द्वारा दिनांक–17.12.2024 को प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून को पत्र प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया कि श्री प्रवीन कुमार गौतम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में याचिका योजित कि गई है। जिसमें उनके द्वारा अलकनन्दा सर्विसेज औद्योगिक विस्फोटक कम्पनी का नाम दिया गया है। इस नाम से झाझरा रेंज के अन्तर्गत कोई भी विस्फोटक कम्पनी नहीं है। वर्तमान समय में झाझरा रेंज अन्तर्गत अपर्णा विस्फोटक कम्पनी चौकी गांव धौलास में स्थित है। उक्त प्रतिष्ठान तक पहुंच मार्ग के रूप में एक कच्ची सड़क आरक्षित वन मझौन के मझौन क0सं0–11 व नाप भूमि के मध्य से होकर जा रही है। याचिकाकर्ता द्वारा की गयी शिकायत के क्रम में उक्त क्षेत्र का राजस्व विभाग के साथ वन विभाग द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। प्रथम वार उक्त क्षेत्र (मार्ग) की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, तत्पश्चात द्वितीय बार दिनांक–08.01.2025 को उक्त क्षेत्र का संयुक्त सर्वेक्षण किया गया जिसके अनुसार उक्त मार्ग वन विभाग की सीमा में पाया गया, जिसे तुरन्त ही वन विभाग के कब्जे में लिया गया था

NOTARY ... Singh Negi ... Advocate

r

तथा उक्त वन अपराध हेतु रेंज केस संख्या–63/झाझरा/2024–25 जारी किया गया। उक्त क्षेत्र वर्तमान में वन विभाग के कब्जे में है।

6. वन अपराध की जांच के पश्चात इस हेतु जिम्मेदार व्यक्तियो के विरूद्ध जांच अधिकारी की अन्तिम जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभियुक्तगणों के विरूद्ध मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून के न्यायालय में परिवाद सख्या–156/2025 प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून बनाम अमित आहूजा व अन्य योजित किया गया है, जिसकी सुनवाई सक्षम न्यायालय में गतिमान है।

7. वन संरक्षक, यमुना वृत्त द्वारा बिन्दु संख्या 13 में उल्लिखित प्रकरण अवगत कराया गया है कि में राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल रिट याचिका सं0–753/2023 डॉ राजेश बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अन्तर्गत मसूरी वन प्रभाग के रायपुर रेंज के क्षेत्रान्तर्गत आरक्षित वन भूमि में अतिक्रमण के संबंध में रिट याचिका योजित की गई है। उक्त रिट याचिका में अतिक्रमण चिन्हित करने हेतु कार्यवाही सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा की जानी है जिसमें मा0 न्यायलय के आदेश दिनांक 10.05.2024 के क्रम में गठित संयुक्त समिति (प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), मुखिया क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मत्रांलय, देहरादून, जिलाधिकारी, देहरादून) की रिर्पोट के माध्यम से मा0 न्यायलय को अवगत कराया गया है। रिट याचित संख्या–753/2023 में वादी द्वारा संयुक्त समिति की रिर्पोट दिनांक 02.12.2024 के क्रम में आपत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में मसूरी वन प्रभाग द्वारा मा0 न्यायलय में प्रति शपथ पत्र दिनांक 27.03.2025 को दाखिल किया गया है। वर्तमान में उक्त प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन है जिसमें अगली सुनवाई की तिथि 31.07.2025 को निर्धारित की गई है।

अतः उक्त विषायांकित प्रकरण में संक्षिप्त इतिहास व सूचना/आख्या वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त सूचना के आधार पर संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार **वन संरक्षकों से प्राप्त सूचना**

(प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून — पंजि.सं0.........., पत्रावली सं0..........)

भवदीय,

27/6/25

(नरेश कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक (गढ़वाल)

संख्या :– 2682/29–1(1) तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

27/6/25

(नरेश कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक (गढ़वाल)

AC.

28/06/25

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate District ... GOVT. OF UTTARAKHAND

कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

E-mail: dfo_mussoorie@rediffmail.com Telefax- 0135-2631765

पत्रांक 4961/29-3, :मसूरी: विनांक-- 26/06/2025।

सेवा मे,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-824/2024 प्रवीन कुमार गौतम बनाम उत्तराखण्ड राज्यादि के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक संख्या-पर्या-16-101/8/2025 APCCFENV-FOREST DEPT दिनांक 20.06.2025, इस कार्यालय का पत्रांक 3031/29-1 दिनांक 03.03.2025।

महोदया,

उपरोक्त विषयांकित सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद सं0 824/2024 Praven Kumar Gautam Vs. State of Uttarakhand, में प्रश्नगत भूमि जिसका उल्लेख मूल वाद में किया गया है इस वन प्रभाग के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत नही है। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून के पत्रांक दिनांक 13.02.2025 जो कि प्रमुख वन संरक्षक पर्यावरण उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय को संबोधित है में उपरोक्त विषयांकित मूल वाद संख्या में पैरावाइज नैरेटिव तैयार कर प्रेषित किया गया है, जिसमे बिन्दु संख्या 13 में अवगत कराया गया है कि "यह कि उक्त प्रकरण देहरादून वन प्रभाग के कार्यक्षेत्र से बाहर है एवं सम्भवतः मसूरी वन प्रभाग से संबंधित है। अतः देहरादून वन प्रभाग के स्तर से इस पर कोई टिप्पणी नही की जानी है"। इस संबंध में अवगत कराना है कि बिन्दु संख्या 13 में उल्लेखित प्रकरण में राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल रिट याचिका सं0-753/2023 डॉ राजेश बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अन्तर्गत मसूरी वन प्रभाग के रायपुर रेंज के क्षेत्रान्तर्गत आरक्षित वन भूमि में अतिक्रमण के संबंध में रिट याचिका योजित की गई है। यह अवगत कराना है कि उक्त रिट याचिका में अतिक्रमण चिन्हित करने हेतु कार्यवाही सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा की जानी है जिसमें मा0 न्यायलय के आदेश दिनांक 10.05.2024 के कम में गठित संयुक्त समिति (प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), मुखिया क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, देहरादून, जिलाधिकारी, देहरादून) की रिर्पोट के माध्यम से मा0 न्यायलय को अवगत कराया गया है। रिट याचित संख्या-753/2023 में वादि द्वारा संयुक्त समिति की रिर्पोट दिनांक 02.12.2024 के कम में आपत्ति शपतपत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके प्रतिउत्तार में इस प्रभाग द्वारा मा0 न्यायलय में प्रतिशपत पत्र दिनांक 27.03.2025(प्रति संलग्न-01) को दाखिल किया गया है। वर्तमान में उक्त प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन है जिसमें अगली सुनवाई की तिथि 31.07.2025 निर्धारित की गई है।(प्रति संलग्न-02)

अतः उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अमित कंवर)
उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांकः 4961 / 29-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

(अमित कंवर)
उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

This affidavit is sworn before me by
Shri..............................
who is identified by Shri ....
at Dehradun on..................

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 19(03)2023
10-12-2023 to 09-12-2028
GOVT. OF UTTARAKHAND

Rajender Singh Negi
Advocate & Notary, Dehradun